

# AKAL ACADEMY

CBSE AFFILIATION NO. 1730688

English Medium, Day Boarding

Co-Educational School

E-Mail: aakamrani@akalacademy.in

VPO- Kamrani, Teh- Tibbi

Distt. Hanumangarh (Raj)

Managed by: The Kalgidhar Trust, Baru Sahib (HP)

Ref.No.....

Date.....

## RTE CERTIFICATE FROM DEO HANUMAN GARH.

*The District Education Officer Ele. delivered to Akal Academy Kamrani, Hanumangarh the RTE certificate for recognition. The certificate DEO/Hanumangarh/Ele./Reco./2012/1273 Dated December 17<sup>th</sup>, 2012 discloses itself.*

PRINCIPAL  
A. A. KAMRANI

## प्रारूप-2

फोन:-01552266268

फैक्स:-01552266268

### कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ राजस्थान

क्रमांक:-जिशिअ/हनु/प्रा0/मान्यता/2012/1273

दिनांक:-12/12/12

प्रबन्धक

दी कालगीधर ट्रस्ट

तह: सिमोर जिला सिमोर राज्य हिमाचल प्रदेश

विषय:-नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 20.9.2011 के आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश अकाल एकेडी कमरानी (अग्रेजी माध्यम) तह: टीबी को दिनांक 12/2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से 5 कक्षा तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्याधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विधालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालना करेगा ।
3. विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसका पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा-12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- (5) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना ।

- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ।
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा ।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा ।  
अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-  
विद्यालय परिसर का क्षेत्र  
कुल निर्मित क्षेत्र :-1567.41 वर्ग मीटर  
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल :-18942 वर्ग मीटर  
कक्षा कमरों की संख्या : 15  
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष :-4  
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :-है  
पेयजल सुविधा :-है  
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई:-है  
बाधा रहित पहुँच  
अध्यापक पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता:-उपलब्ध है ।
11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।
12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है ।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ को भेजी जानी चाहिए
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड 0176 संख्याक है । कृपया इस नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें ।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि हो को सुनिश्चित किया जाए ।
19. संलग्न उपाबंध III के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक हनुमानगढ़





सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

गेट नं० ४, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग

पटेल चौक, नई दिल्ली - ११० ००९

Gate No. 4, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg

Patel Chowk, New Delhi - 110 001


## C E R T I F I C A T E


Dated.....

THIS IS TO CERTIFY THAT BY THE ORDER DATED 21<sup>ST</sup> DAY OF APRIL 2014 PASSED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS, NEW DELHI IN CASE NO. 1456 OF 2013 (AKAL ACADEMY, SRI GANGANAGAR, VILLAGE 10 Z, P.O. 12 Z, TEHSIL & DIST. SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN, AND ORS. VS. DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION, EDUCATION DEPARTMENT, GOVERNMENT OF RAJASTHAN), THE FOLLOWING INSTITUTIONS RUN BY THE KALGIDHAR TRUST HAVE BEEN DECLARED AS MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004.

Sl. No.	File No.	Name of the Institutions
1.	F. No. 1456 of 2013	Akal Academy, Sri Ganganagar, Village 10 Z, P.O. 12 Z, Tehsil & Dist. Sriganganagar, Rajasthan.
2.	F. No. 1457 of 2013	Akal Academy, Kamrani, V.P.O. Kamrani, Tehsil Tibbi, Dist. Hanumangarh, Rajasthan.
3.	F. No. 1458 of 2013	Akal Academy, 31 BB Padampur, Village 31 BB, P.O. 4JJ, Tehsil Padampur, Dist. Sriganganagar, Rajasthan.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 21<sup>ST</sup> DAY OF APRIL 2014.



  
(RITA CHATTERJEE)  
SECRETARY